2018

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी जिला अलवर।

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द शर्मा II आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना संख्या :– 3/58

तारीख दायर :– 26/09/2016

उनवान

1. रामगोपाल पुत्र श्योराम जाति मीणा निवासी ग्राम बल्लूवास तहसील थानागाजी जिला अलवर।

– प्रार्थी।

बनाम

1. भम्बू पुत्र रामलाल जाति मीणा निवासी बल्लूवास
2. जन्सी पुत्र रामलाल जाति मीणा निवासी बल्लूवास
3. प्रभू पुत्र बालू जाति मीणा निवासी बल्लूवास
4. रामधन पुत्र गणेश जाति मीणा निवासी बल्लूवास
5. राजेश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी बल्लूवास समस्त बालिग तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार (भू–स्वामी) तहसील थानागाजी

– अप्रार्थीगण।

‖ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 आर.टी.एक्ट. बाबत पत्थरगढी ‖

उपस्थिति :–

1. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट –प्रार्थी।
2. कोई उपस्थित नही। एडवोकेट –अप्रार्थी।
3.

न्यायालय द्वारा :–

निर्णय दिनांक :– 11/04/2017

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम बल्लूवास तहसील थानागाजी जिला अलवर में हाल आराजी ख.न. 742 रकबा 0.63 हैक्टेयर, 265 रकबा 0.94 हैक्टे. 741 रकबा 0.90 हैक्टे. वाके ग्राम बल्लूवास तहसील थानागाजी जिला अलवर में स्थित चली आती है। जो आराजी प्रार्थना पत्र हाजा में विवादित आराजी बयान की गई है।

उपरोक्त विवादित आराजी प्रार्थी की कब्जे काशत खातेदारी की आराजी है। जिस विवादित आराजी पर प्रार्थी काबिज रहकर मौके पर बिना किसी रूकावट व बाधा के काश्त

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

2018

करता आ रहा है। आज भी मौके पर विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त खातेदारी का मौजूद है।

प्रार्थी की विवादित खातेदारी आराजी में अप्रार्थीगण का कोई हक सम्बन्ध नही है, अप्रार्थीगण बेईमान किस्म के झगडालू आदमी है और प्रार्थीगण की खातेदारी के आस–पास अप्रार्थीगण की आराजी स्थित है व अप्रार्थीगण अनाधिकार पूर्वक प्रार्थीगण की आराजी के डोल को काटते है तथा जबरन कब्जा करने पर आमादा है। जिस हेतु प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी आराजी का सीमाज्ञान भी तहसीलदार, थानागाजी के आदेश कमांक–एल.आर./1425, दिनांक 30/04/2008 के आदेशानुसार दिनांक 28/05/2008 को करायी है। जिस पैमाईश को भी अप्रार्थीगण नही मानते है और जबरन प्रार्थीगण की आराजी की डोल को काटते है, जबरन कब्जा करना चाहते है। जिसका प्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है।

विवादित आराजी से प्रार्थीगण का कोई हक सम्बन्ध किसी प्रकार का नही है और दिनांक 15/06/2016 को प्रार्थीगण की आराजी पर आये और कार्यकाश्त में रूकावट व बाधा डाली और स्पष्ट धमकी दी की, वो प्रार्थीगण की गैर मौजूदगी में आराजी की डोल को तोडकर ही रहेगें और जबरन कब्जा करेगें और कच्चा–पक्का निर्माण करेगें। इसलिये प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की आराजी की सुरक्षा के लिए पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक हुआ है। जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है।

अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की विवादित आराजी पर जबरन लठ्ठ के बल पर कब्जा कर लिया, डोल को तोड दी। कोई निर्माण कर लिया सकल मौका आराजी बदल दी तो, प्रार्थीगण को भारी नापर्ति नुकसान होगा। प्रार्थीगण के हाथों से आराजी निकल जावेगी। इसलिये जर्ये अदालत प्रार्थीगण अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। उनके विरूद्ध एकतर्फा कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीस बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान स्पष्ट किया गया कि प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी की पूर्व में पैमाईश कराई जा चुकी है परन्तु अप्रार्थीगण उक्त पैमाईश को नही मानते है और प्रार्थी की आराजी की डोल को काटते है। जबरन कब्जा करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादों में सफल हो गये तो, प्रार्थी को नापूर्ति नुकसान होगा। इसलिये पत्थरगढी कराना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सवंत् 2071–74 के अनुसार प्रार्थी विवादित आराजी का खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है और प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी की पूर्व में पैमाईश भी कराई जा चुकी है परन्तु अप्रार्थीगण उक्त पेमाईश को नही मानते है और प्रार्थी की आराजी की डोल को काटकर जबरन कब्जा करने की फिराक में है। एक खातेदार को उसकी आराजी की सुरक्षा हेतु धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत पत्थरगढी कराने बाबत सुविधा प्रदान की हुई है। उपरोक्त तथ्यों के मध्य नजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले स्वीकार है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र बाबत कराये जाने पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, थानागाजी को विवादित हाल आराजी ख.न. 742 रकबा 0.63 हैक्टेयर, 265 रकबा 0.94 हैक्टे., 741 रकबा 0.90 हैक्टे. वाके ग्राम बल्लूवास की पत्थरगढी पक्षकारान की मौजूदगी में करने के निर्देश दिये जाते है। अहकाम बनाम तहसीलदार, थानागाजी जारी हो। पालना रिपोर्ट तलब हो।

निर्णय आज दिनांक 11/04/2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया।

कैलाश चन्द शर्मा II
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner